न्यायालय सहायक कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी :- मनीषा (आर0 ए0 एस)

प्रकरण संख्याः- 182/2018

दायर दिनांकः- 24.04.2018

उनवान

1. बिरदा पुत्र गोपाल (फोत)
   1/1. रामवतार पुत्र बिरदा
   1/2. बाबूलाल पुत्र बिरदा
   1/3. प्रहलाद पुत्र बिरदा
   1/4. रतीश पुत्र धनसी पौत्र बिरदा
   1/5. रामप्रसाद पुत्र धनसी नाबालिग जरिये वली मां केसर
   1/6. मंजू पुत्री धनसी पौत्री बिरदा नाबालिग जरिये वली मां केसर
   1/7. केसर बेवा धनसी पुत्रवधू बिरदा

   जाति बैरवा निवासी छोटी दौसा तह. व जिला दौसा

   1/8. उगन्ती पुत्री बिरदा पत्नि लक्ष्मण प्रसाद
   1/9. लिछमा पुत्री बिरदा पत्नि मदनलाल

   जाति बैरवा निवासी पाडली तहसील सिकराय जिला दौसा।

   1/10 गुड्डी पुत्र बिरदा पत्नि कालूराम जाति बैरवा नि. बालाहेड़ी तह. महवा जिला दौसा।

(वादीगण)

बनाम

1. श्रीनिवास वैध पुत्र कल्याणबक्स वैध जाति महाजन निवासी जयपुर।
   1/1. रामेश्वरी देवी बेवा श्रीनिवास वैध
   1/2. रामजीलाल पुत्र श्रीनिवास वैध
   1/3. राजकुमार पुत्र श्रीनिवास वैध
   1/4. संजय पुत्र श्रीनिवास वैध
   1/5. अजय पुत्र श्रीनिवास वैध

   जाति महाजन निवासी झौटवाड़ा जयपुर जिला जयपुर।

   1/6. श्रीमती कवीता पुत्री श्रीनिवास वैध पत्नि सतीश जाति महाजन निवासी बनारस (यू.पी.)
   1/7. सवीता पुत्री श्रीनिवास वैध जाति महाजन निवासी दौसा खुर्द तह. व जिला दौसा
2. सेडूराम पुत्र भूराराम (मृतक)।
   2/1. मुथरी बेवा सेडूराम जाति गुर्जर निवासी दौसा खुर्द तह0 व जिला दौसा।
   2/2. भोरी पुत्री सेडूराम जाति गुर्जर निवासी चिरावंडा तह0 नादौती जिला करौली।
   2/3.विजयसिंह पुत्र भौरी पुत्री स्व. सेडूराम जाति गुजर निवासी चिरावंडा तह0 नादौती जिला करौली
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दौसा जिला दौसा राजस्थान।

(प्रतिवादीगण)

सहायक कलक्टर
दौसा, जिला दौसा

दावा- उद्घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा एवं इन्द्राज दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88, 188 एवं 136 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955

वकील मय वादीगण ने एक वाद दावा उद्घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा एवं इन्द्राज दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88, 188 एवं 136 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की ग्राम बीचलवास जिसमें वादी की खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि आराजी खसरा न. 154 रकबा 0.80 है0 स्थित है। जिसके हाल सेट्लमेन्ट से पूर्व के एकीकरण के खसरा नं. 43 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा व एकीकरण से पूर्व उक्त भूमि के खसरा नं. 143 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा थे। उक्त भूमि बाराजी अव्वल है। उक्त वादी की भूमि चतुर्थसीमा इस प्रकार है कि उत्तर में भूमि रतन सिंह वगैराह राजपूत, दक्षिण में भूमि जौहरी लाल वगैराह छोडकर जयपुर आगरा नेशनल हावे, पूर्व में ग्राम बीचलवास को जाने का रास्ता व पश्चिम में भूमि बिरदा चमार छोडकर दूध की डेयरी है। वादी का उक्त खेत के चारो ओर वादी की लगाई हुई मिट्टी की ढोल से महदूदा है।

वादी अनुसूचित जाति का काश्तकार है। वादी की आर्थिक स्थिति खराब होने की मजबूरी वश ही करीब 35 वर्ष पूर्व वादी ने उक्त भूमि में 3 वर्ष तक लक्ष्मण सिंह राजपूत से साझे में काश्त करवाई उसके बाद दो वर्ष प्रतिवादी नं. 2 सेडूराम से साझे में आधे बट में उक्त भूमि में काश्त करवाई। उसके बाद पश्चात से आज तक वादी स्वयं अपनी उक्त भूमि में काश्त करता चला आ रहा है। गत 5-7 वर्षो से अकाल पड़ जाने भूमि में पैदावार नही होने से केवल अपने मवेशियों का चारा फूस पैदा कर लाभान्वित होता आ रहा है। तथा आज भी अपनी भूमि में शान्तीपूर्वक काबिज।

वादी अपनी भूमि पर शान्तिपूर्वक काबिज रहकर लाभान्वित होता आ रहा है इसलिए पूर्व में वादी को कभी भी राजस्व रिकार्ड आदि देखने की आवश्यकता ही नही पड़ी। मगर जब लोगो से वादी को पता चला की उसकी भूमि को प्रतिवादी संख्या 2 ने काफी पहले ही अपने नाम फर्जी तरीके से लगवा ली व उक्त फर्जी कार्यवाही से खुद के नाम नाजायज रूप से लगवाकर उक्त भूमि का एक फर्जी नुमायशी बेचानाम प्रतिवादी नं. 1 के नाम भी करवा दिया। वादी ने जब राजस्व रिकार्ड की नकल ली तब सारी नकले मिलने पर प्रतिवादीगण की मिल्लत द्वारा साज कर की गई फर्जी कार्यवाहीयों की पूर्ण जानकारी हुई कि किस तरह प्रतिवादी नं. 2 ने वादी की भूमि प्रतिवादी नं. 3 से भ्रष्टाचार पूर्वक तरीके से मिल्लत कर षड़यन्त्र कर अपने नाम लगवा ली जो नकले देखने से ही सरासर फर्जी व गैरकानूनी प्रमाणित है।

पहले तो 3 वर्ष तक पटवारी हल्का ने साज कर वादी के साझी लक्ष्मण सिंह के नाम फर्जी गिरदावरीयां दर्ज कर दी व उसके बाद दो साल तक प्रतिवादी नं. 2 से साझे में वादी द्वारा काश्त करवाने पर प्रतिवादी नं. 2 ने गुपचुप में प्रतिवादी नं. 3 के पटवारी हल्का से साज करके 4 वर्ष की फर्जी गिरदावरियां अपने खुद के नाम करवाली। प्रतिवादी नं. 3 ने भ्रष्ट तरीके से सरासर नाजायज व गैर कानूनी तरीके से मात्र एक कागज पेंसिली निर्देश देकर पत्र संख्या 4731 दिनांक 04.12.68 पटवारी के नाम लिखकर वादी की भूमि गैर कानूनी तरीके से वादी को फरार दिखाकर उस पर प्रतिवादी नं. 2 का कब्जा बताते हुये सिवाय चक दर्ज करने के आदेश देकर सरासर गैर कानूनी नामान्तकरण संख्या 84 दिनांक 07.02.71 द्वारा भूमि वादी की खातेदारी से हटाकर सिवाय चक दर्ज करने के आदेश दे दिये व नामान्तरकण तस्दीक कर दिया जो समस्त कार्यवाही देखने मात्र से ही फर्जी प्रमाणित है। कोई भी किसी भी तरह की वादी के फरार होने की जांच नहीं है, नही कोई वादी को नोटिस दिया है न कोई पत्रावली है।

सहायक कलक्टर
दौसा, जिला दौसा

महज नामान्तकरण की पुश्त पर प्रतिवादी नं 3 का एक पत्र चस्पा कर उसके आधार पर नामान्तकरण तस्दीक कर दिया जिस नामान्तकरण तक मैं कही भी कब्जा सरकार में लेने का या अन्य कोई हवाला तक नही है तथा नामान्तकरण पर चस्पा निर्देश में भी किसी 03.12.60 के आदेश के अनुसार का हवाला दिया है । जैसा की कोई आदेश ही नही है इस प्रकार उक्त वादी की खातेदारी से हटाने की सारी कार्यवाही नामान्तकरण व प्रतिबादी नं 2 व लक्ष्मण सिहं के नाम दर्ज की गिरदावरी सम्वत 2023 लगायत 2026 सरासर फर्जी गैर कानूनी क्षेत्राधिकार है बाहर व बाडंड एवं इनिशियों कार्यवाही है व जो बमुकाले वादी खातेदार काश्तकार नल एण्ड बोईड व प्रभाव शुन्य है व ऐसी वोड एवं इनिशियों फजी कार्यवाही से वादी खातेदार काश्तकार के जायज हक हकूक कानूनन अप्रभावित है व उन पर कानूनन कोई असर नही पड सकता व वादी इस प्रकार की उदघोषणा न्यायालय से अपने हक में कराने का जायज अधिकारी है ।

तहसीलदार जी ने ही दिनांक 06.07.67 की तारीख में ही सरासर फर्जी तरीके से वादी की उक्त भूमि का प्रतिवादी नं 2 के हक में आवंटन दिखा कर नामान्तकरण सं 68 दि 30.04.71 द्वारा भूमि तुरन्त प्रतिवादी नं 2 के नाम गैर खातेदारी में भी दर्ज कर दी जो इस लिये फर्जी की क्योंकि 1670 से तहसीलदार जी के आवंटन के अधिकार समाप्त हो रहे थे। जो समस्त कार्यवाही ही प्रतिवादी नं 3 तहसीलदार जी की भ्रष्ट व फर्जी कार्यवाही सरसरी तौर पर देखने से ही प्रमाणित है। चूंकि वादी अनुसूचित जाति का है जिससे वो सीधे किसी तरह प्रतिवादी नं. 2 के नाम जमीन लगा नही सकते थे। इस लिये उन्हें इतनी फर्जी कार्यवाही करनी पड़ी। ऊपर दर्शाये वादी की खातेदारी से सिवाय चक दर्ज करने के नामान्तकरण की तुलना 07.02.71 की गिरदावरी द्वारा की गई है व 07.02.71 को ही तहसीलदार जी ने तस्दीक कर दिया । इस प्रकार 07.02.71 को भूमि सिवाय चक रिकार्ड में दर्ज हुई। मगर भ्रष्ट प्रतिवादी नं 2, 3 को इतनी तसल्ली भी नहीं थी व भूमि का 07.02.71 को सिवाय चक का नामान्तकरण करने से भी दो वर्ष पूर्व ही 06.07.69 को ही प्रतिवादी नं. 2 का आवंटन दिखाकर सिवाय चक के नामान्तकरण तस्दीक 07.02.71 से भी काफी पूर्व ही पटवारी ने प्रतिवादी नं 2 के नाम नामान्तकरण भर दिया व 23.11.70 को गिरदावर ने जांच भी करली व 30.04.71 तहसीलदार जी ने तस्दीक कर दिया। आश्चर्य है कि इन दोनों नामान्तकरण में कही भी कब्जे के बारे में एक शब्द भी हवाला तक नही दिया । इस प्रकार प्रमाणिक रूप से उक्त समस्त कार्यवाही प्रतिवादी नं 2, 3 ने सरासर फर्जी गैरकानूनी मनमाने व भ्रष्ट तरीके से गुप चुप में वादी को बेजा नुकसान पहुचाने व प्रतिवादी नं 2 को बेजा नाजायज लाभ पहुचाने की बदनियत से किया है जो समस्त कार्यवाही फर्जी व बोईड एण्ड इनिशियों है व जो बमुकाबले वादी खातेदार काश्तकार नल एण्ड बोईड व प्रभाव शुन्य व कलेजदम व बेअसर है व वादी इस तरह की उद्घोषणा अपने हक में करवाने का जायज अधिकारी है व ऐसी फर्जी कार्यवाहियां से वादी के जायज हक हकूक अप्रमाणित है। उक्तानुसार राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा गई उक्त फर्जी कार्यवाही व नामान्तकरण के जरिये राजस्व रिकार्ड में 2030 से जमाबन्दी व खसरा गिरदावरी में प्रतिवादी नं. 2 का नाम गैर कानूनी व नाजायज रुप से बतौर गैर खातेदार व मौजूदा जमाबन्दी में बतौर खातेदार गलत दर्ज चला जा रहा है जो समस्त राजस्व रिकार्ड की इन्द्राज बिना किसी कानूनी आधार के सरासर इलीगल व बोईड एण्ड इनिशियाँ है तथा ऐसे आधारहीन बोईड एण्ड इनिशिया फर्जी इन्द्राज से वादी खातेदार काश्तकार के जायज हक हकूक कानूनन अप्रभावित है व उन पर कानूनन कोई प्रभाव नहीं पड़ता है व जो बमुकाबले वादी खातेदार काश्तकार कलेअदम व बेअसर घोषित फरमाये जाकर वादी को बदस्तूर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक है व उसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड के अंकनों की दुरुस्ती किया जाना कानूनन आवश्यक है।

सहायक कलक्टर
दौसा, जिला दौसा

प्रतिवादी नं. 2 ने अपने हक में करा उक्त फर्जी कार्यवाहीयों व फर्जी गैर कानूनी राजस्व रिकार्ड के अंकन के आधार पर दिनांक 05.04.89 को गुपचुप में बिना जानकारी वादी के उक्त वादी की भूमि का एक फर्जी नुमायशी विक्रयपत्र प्रतिवादी नं 1 के नाम लिखकर तस्दीक करवा दिया जो सब-रजिस्टार दौसा के यहां दिनांक 05.04.89 को पुस्तक संख्या 1 के भाग संख्या 84 के क्रम संख्या 55 के पृष्ठ संख्या 25, 26 पर पंजिवृद्ध हुआ है । उक्त विक्रय पत्र में भी प्रतिवादी नं 2 ने कही भी भूमि पर कब्जा उसका होने का इन्द्राज नही किया है इतना ही नही विक्रय पत्र इसमें भी फर्जी प्रमाणित है कि 02.09.87 को सेट्लमेन्ट होकर नये नम्बर बन जाने के बावजूद भी विक्रय पत्र पुराने खसरा नम्बरों से ही करवाया गया है व रजिस्ट्री के समय के खसरा नम्बरों से ही करवाया गया है व रजिस्ट्री के समय के खसरा नम्बरों का विक्रय पत्र में कही भी हवाला तक नही है। इस प्रकार चूंकि भूमि वादी की खातेदारी व कब्जे की थी व तथा प्रतिवादी नं 2 का कभी भी कब्जा नहीं रहा व नहीं विक्रय पत्र के समय या बाद में या पूर्व में कभी प्रतिवादी नं0 1 को कब्जा न तो दिया गया नही आज तक है व वादी का आज तक बहैसियत खातेदार काश्तकार शान्ती पूर्वक कब्जा चला जा रहा है। व उक्त विक्रय पत्र प्रतिवादी नं 2 द्वारा आधार हीन व फर्जी राजस्व रिकार्ड के अंकन के आधार पर बिना प्रतिफल के फर्जी कराया गया है जो वाईड एवं इनिशियों व प्रभावशुन्य है व बमुकाबले वादी खातेदार काश्तकार क्लेअदम बेअसर होने से घोषणा इ अमर की फरमाई जाना न्यायार्थं आवश्यक है ।

वादी का जायज हक है कि वह फर्जी कार्यवाहीयों द्वारा किये फर्जी इन्द्राजात व परिवर्तन राजस्व रिकार्ड व रजिस्ट्री घोषित करावे व अपने हक में खातेदारी की उद्घोषणा न्यायालय द्वारा करवाकर राजस्व रिकार्ड में अपने हक में इन्द्राज दुरूस्ती करावे व भूमि पर बदस्तूर शान्ती पूर्वक काबिज रहे तथा प्रतिवादीगण को उपरोक्तानुसार पाबन्द करावे। तथा प्रतिवादीग को कोई जायज हक नही है कि वो वादी के खातेदारी काश्त के जायज हक हकूकों पर किसी भी प्रकार से कुठाराघात करे। इस बाबत स्थायी निषेधाज्ञा, दुरूस्ती इन्द्राज दावा पेश किया है।

वादी ने अपने वाद में इस आशय का अनुतोष चाहा है कि दावा वादी विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाये कृषि भूमि आराजी ख0न0 154 रकबा 0.80 एयर वाके ग्राम बीचरलवास तह0 दौसा जिसका विवरण वाद में दिया गया है का वादी खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादीगण द्वारा राजस्व रिकार्ड में किये गये अंकन बाबत गिरदावरी सम्वत 2013 से 2015 से लक्ष्मण सिंह का नाम व 2016 से 2019 में प्रतिवादी न. 2 का नाम व सम्वत 2031 से 2033 में किया। प्रतिवादी नं 2 का नाम गिरदावरी कालम में तथा सम्वत 2027 से 2030 की जमाबन्दी में सिवाय चक का इन्द्राज व 2031 से अब तक की जमाबन्दी में प्रतिवादी नं 2 के नाम का इन्द्राज बतौर खातेदार व गैरखातेदार व बमुकाबले वादी कलेअदम व बेअसर व प्रभावशुन्य है तथा उक्त वादी की भूमि बाबत किया गया नामान्तकरण संख्या 84 दिनांक 07.02. 1971 ग्राम बीचलवास व नामान्तकरण संख्या 97 दिनांक 30.04.1971 ग्राम बीचलवास तथा प्रतिवादी नं0 1 के हक में करायी गई। रजिस्ट्री विक्रय पत्र दिनांक 05.04.1989 जो सबरजिस्ट्रार दौसा के यहां दिनांक 05.04.89 को पुस्तक सं0 1 के भाग संख्या 84 के क्रम सं0 55 के पृष्ठ संख्या 25-26 पर पंजिवृद्व हुई है। वह रजिस्टरी विक्रय-पत्र एवं उक्त विक्रय-पत्र के आधार पर प्रतिवादी नं0 1 के नाम हुआ कोई राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन व प्रतिवादी नं0 1 द्वारा की गई कोई भी कार्यवाही बाबत उक्त भूमि बमुकाबले वादी क्लेअदम व बेअसर व प्रभावशून्य घोषित फरमाई जाकर राजस्व रिकार्ड की इसी अनुसार दुरूस्ती की जाकर वादी का नाम बतौर खातेदार काश्तकर दुरूस्त फरमाया जावें।

सहायक कलक्टर
दौसा, जिला दौसा

डिक्री स्थायी निषेधाज्ञा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की फरमायी जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा इस प्रकार पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादी की भूमि खसरा नम्बर 154 रकबा 0.80 एयर वाके ग्राम बीचलवास तह0 दौसा जिसका विवरण वाद पत्र में किया गया है। जो उत्तर में भूमि रतन सिंह वगैराह राजपूत, दक्षिण में भूमि जौहरी लाल वगैराह छोडकर जयपुर आगरा नेशनल हावे, पूर्व में ग्राम बीचलवास को जाने का रास्ता घिरी हुई है, में वादी के शान्तिपूर्वक कब्जेकाश्त में किसी भी प्रकार का दखल करने से या वादी को जबरन बेदखल कर खुद कब्जा करने से या भूमि को कही रहन, बय या हस्तान्तरण करने से या भूमि में जबरन गड्डे आदि खोदने या निर्माण आदि करने से या वादी के हक हकूकों के विपरित किसी भी प्रकार का राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन करने से या अन्य किसी भी प्रकार वादी के हक हकूकों को कुठाराघात पहूंचाने से व स्वयं या अपने रिश्तेदारों एजेण्टों या नौकरों द्वारा किसी भी प्रकार का दखल करने से दवामी तौर पर प्रतिबन्धित रहे।

वादी के द्वारा उक्त वाद न्यायालय में पेश करने पर प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी नम्बर 1 ने अपने अधिवक्ता श्रीर बृजमोहन गौड़ के मार्फत जवाबदावा पेश किया गया जिसमें अंकित किया गया कि वादग्रस्त भूमि के खसरा नं. 154 रकबा 0.80 है0 के साबिक खसरा नम्बर 43 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा तथा एकीकरण से पूर्व के खसरा नम्बर 143 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा वादी बिरदा के नाम राजस्व रिक०र्ड में अंकित होना स्वीकार किया गया है। परन्तु वादी का उक्त वादग्रस्त भूमि पर कब्जा होना तथा काश्त करना स्वीकार नहीं किया हैं। श्री आर. के. जैमन ने प्रतिवादी नं. 1 व श्री मिठ्ठन लाल गुर्जर ने प्रतिवादी नं. 2 की ओर से वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी नं. 2 द्वारा जवाब पेश किया गया। प्रतिवादी नं. 1 द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 पेश किया गया। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा पेश किया गया प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 को खारिज किया जाकर प्रतिवादी नं. 1 के जवाब हेतु पत्रावली पेश की गई। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से जवाब दावा पेश किया गया।

प्रतिवादी नं. 1 व 2 का कायम मुकाम प्रार्थना पेश किया गया। प्रार्थना पत्र सुना जाकर स्वीकार किया जाकर संशोधित शीर्षक हेतु पत्रावली को आगामी दिनांक दी गई। तथा आगामी दिनांक को संशोधित शीर्षक पेश किया गया। दिनांक 17.05.2012 को वकील प्रार्थी श्री अशोक बटवाल व प्रतिवादी संख्या 1/2 लगायत 1/7 की ओर से श्री वरूण कुमार नागर अधिवक्ता उपस्थित। वकील वादी ने हिदायत पैरवी न होना जाहिर किया। वादी स्वयं उपस्थित नही है। अतः वादी का वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया गया।

श्रीमान भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैम्प दौसा के द्वारा दिनांक 17.11.2015 को न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 17.05.2012 को पारित आदेश को खारिज कर प्रकरण को पुनः दर्ज करने के आदेश जारी किये गये। अतः श्रीमान भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैम्प दौसा के आदेश दिनांक 17.11.2015 की पालना में प्रकरण को दिनांक 23.04.2018 को पुनः दर्ज किया जाकर उभयपक्षकारान को अदालती नोटिस जारी किये गये। दिनांक 05.07.2019 को तामिल हो जाने के उपरांत भी न्यायालय में उपस्थित नही होने के कारण प्रतिवादी सं. 1/1 लगायत 1/7 व 2/1 लगायत 2/3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

सहायक कलक्टर
दौसा, जिला दौसा

उक्त वाद में प्रस्तुत जवाब दावा के आधार पर निम्नलिखित तनकीयात कायम की गईः-

तनकी नम्बर 1:- वादग्रस्त भूमि ख0न0 154 वाकै ग्राम बीचलवास की सम्वत् 2013 से 2015 तक से लक्ष्मण सिंह का नाम व सम्वत् 2016 से 2019 तक प्रतिवादी सं. 2 का नाम तथा सम्वत् 2027 से 2030 की जमाबंदी में सिवाय चक का इन्द्राज व सम्वत् 2031 की जमाबंदी में प्रतिवादी सं. 2 का खातेदारी व गैर खातेदारी का इन्द्राज बमुकाबले वादी प्रभावहीन व शून्य घोषित होने योग्य है।

तनकी नम्बर 2:- नामान्तकरण संख्या 84 दिनांक 07.02.71 व नामान्तकरण सं. 97 दिनांक 30.04.71 को प्रभाव शून्य घोषित करने योग्य है।

तनकी नम्बर 3:- आवंटन आदेश दिनांक 06.07.69 व प्रतिवादी सं. 2 द्वारा प्रतिवादी सं. 1 के हक में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 05.04.89 को प्रभाव शून्य घोषित होने योग्य है।

तनकी नम्बर 4:- वादी प्रतिवादी नं. 1 व 2 के विरूद्व उक्त आराजी को विक्रय नही करने, रहन नही रखने व किसी प्रकार से दावस नही करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का हक रखता है।

तनकी नम्बर 5:- प्रतिवादी नं. 2 उक्त आराजी का खातेदार है तथा कानूनी तरीके से उक्त भूमि का विक्रय प्रतिवादी सं. 1 के हक में कराया है। इससे वादी का किसी प्रकार का ताल्लुक नही है।

तनकी नम्बर 6:- उक्त वादीग्रस्त आराजी का वादी द्वारा परित्याग करने के कारण उक्त भूमि सिवाय चक दर्ज की गई है। जिससे उसके खातेदारी अधिकार निर्वासित हो गये है व अपने अधिकारों का परित्याग करने में अनुसूचित जाति के लिये कोई पृथक प्रावधान नही है।

तनकी नम्बर 7:- उक्त सिवाय चक आदेश की अपील नही करने की वजह से उक्त आदेश अंतिम हो गया है। उक्त आराजी प्रतिवादी सं. 2 को नियमानुसार आवंट्ति की गई तथा उसके हक में नामान्तकरण खातेदारी व गैर खातेदारी नियमानुसार दर्ज किये गये है। इनके विरूद्व किसी प्रकार की अपील नही करने के कारण अब वादी के कोई अधिकार नही रह गये है।

तनकी नम्बर 8:- प्रतिवादी नं. 1 ने प्रतिवादी नं. 2 से उक्त आराजी को नियमानुसार क्रय किया है जिसे काफी अर्सा हो गया है अतः विक्रय पत्र क्लेदम वे प्रभावशून्य घोषित योग्य नही है।

तनकी नम्बर 9:- उक्त आराजी में वर्तमान में 40 प्लाट कट गये तथा 40 व्यक्तियों ने मकान बना लिये है इस प्रकार वादी के हक समाप्त हो गये है।

दिनांक 26.07.2019 को वकील वादी के द्वारा बाबूलाल पुत्र बिरदा, केसर पत्नि स्व0 धनसी, लालाराम पुत्र बद्री एवं जाफान पुत्र सेडुराम के शपथ पत्र बाबत साक्ष्य वादी पेश किये गये जो शामिल पत्रावली किये गये। दिनांक 19.09.2019 को वादी बाबूलाल के द्वारा अपने वाद की पुष्टि में प्रस्तुत दस्तावेजात पर वकील वादी के द्वारा प्रदर्श 1 लगायत 14 अंकित किये गये। दिनांक 06.12.2019 को वकील वादी की एकतरफा बहस सुनी गई। दिनांक 21.12.2020 को वादी बिरदा के वारिसान रामावतार की ओर से प्रार्थना पत्र बाबत वादी नं. 11 का नाम हजफ करने हेतु पेश किया गया। दिनांक 07.01.21 को प्रार्थना पत्र पर एकतरफा बहसी सुनकर प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया गया। एवं वकील वादी द्वारा प्रस्तुत संशोधित काज टाईट्ल को शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद मौखिक बहस हेतु कई अवसर दिये गये।

सहायक कलक्टर
दौसा, जिला दौसा

तत्पश्चात वकील वादी द्वारा लिखित बहस पेश करने हेतु निवेदन किया गया जिसे स्वीकार किया गया उसके पश्चात वकील वादी द्वारा निम्न प्रकार से लिखित बहस पेश की गई:-

1. ग्राम बीचलवास तहसील दौसा में स्थित वादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि आराजी खसरा नंबर 154 रकबा 0.80 है0 स्थित है जिसके हाल सेटलमेन्ट से पूर्व के एकीकरण के खसरा नंबर 43 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा थे व एकीकरण से पूर्व उक्त भूमि के खसरा नंबर 143 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा ग्राम बीचलवास तहसील दौसा थे। वादीगण के उक्त खेत के चारो ओर काफी अर्सा पूर्व से मिट्टी की डोल वादीगण ने बना रखी है।
2. यह है कि वादीगण अनुसूचित जाति (एस.सी. जाति) के गरीब काश्तकार व्यक्ति है । वादीगण ने जाति से चमार (बैरवा) होने व घर की आर्थिक स्थिति बिलकुल खराब होने की मजबूरीवश आज से करीब 65 वर्ष पूर्व वादीगण ने उक्त भूमि में तीन वर्ष तक लक्ष्मणसिंह राजपूत से साजे में काश्त करवाई व उसके बाद 2 वर्ष प्रतिवादी नंबर 2 सेडूराम से साजे पर आधे बट पर उक्त भूमि में काश्त करवाई। उसके पश्चात से आज तक वादीगण स्वयं अपनी उक्त भूमि में काश्त करते चले आ रहे है व वादीगण उक्त भूमि पर काबिज चले आ रहे है एवं उक्त भूमि वादीगण के

उपयोग उपभोग में चली आ रही है एवं 5-7 वर्षो तक अकाल पड जाने से भूमि में पैदावार न होने से केवल मवेशियों के चारा फूस पैदा कर वादीगण लाभान्वित होते चले आ रहे है तथा सवंत 2012 से भी पूर्व से आज तक वादीगण बदस्तूर अपनी उक्त भूमि में बहैसियत खातेदार शांतिपूर्वक काबिज होकर काश्त कर लाभान्वित होते चले आ रहे है एवं आज भी वादीगण अपनी उक्त भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज है एवं उक्त भूमि अर्से दराज से बदस्तूर वादीगण के कब्जे व उपयोग उपभोग में चली आ रही है।

3. यह है कि चूंकि वादीगण अनुसूचित जाति (एस.सी. जाति) के बैरवा गरीब व अनपढ भोले भाले मजदूर किस्म के व्यक्ति है एवं भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज रहकर वादीगण लाभान्वित होतें चले आ रहे है एवं पूर्व में वादीगण को कभी भी राजस्व रिकार्ड आदि देखने की आवश्यकता ही नहीं पडी । वादीगण के पूर्वज बिरदा वादी ने अपने मौहल्ले में जब सुना कि तुम्हारी जमीन तो प्रतिवादी नंबर 2 ने काफी पहले से ही फर्जी तरीके से अपने नाम लगवा ली व उक्त फर्जी

कार्यवाही से खुद के नाम नाजायज रूप से लगवा कर उक्त भूमि का एक फर्जी नुमाईश बेचान नामा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम करवा लिया तो वादीगण तुरन्त तहसील में जाकर उक्त फर्जी बेचाननामा की जानकारी कर नकल हेतु आवेदन किया एवं अन्य राजस्व रिकार्ड की नकले ली तक सारी नकले मिलने पर प्रतिवादीगण की मिल्लत द्वारा साज कर की गई फर्जी कार्यवाहीयों की पूर्ण जानकारी हुई कि किसी तरह प्रतिवादी नंबर 2 ने गरीब अनपढ वादीगण की भूमि प्रतिवादी संख्या 3 से भ्रष्टाचार पूर्ण तरीके से मिल्लत कर षडयंत्रपूर्ण फर्जी कार्यवाही करवाकर अपने नाम लगवा ली जो नकल देखने से ही सरासर फर्जी व इलिगल कार्यवाही है। पहले तो 3 वर्ष तक पटवारी हल्का ने साजकर वादीगण के साझी लक्ष्मणसिंह के नाम फर्जी गिरदावरियां दर्ज कर दी व उसके बाद 2 साल तक प्रतिवादी नंबर 2 से साझे में वादी द्वारा काश्त करवाने पर प्रतिवादी नंबर 2 ने गुपचुप में प्रतिवादी संख्या 3 से व पटवारी हल्का से साजकर के 4 वर्ष की फर्जी गिरदावरियां अपने स्वयं के नाम करवा ली जबकि प्रतिवादी नंबर 2 ने वादी के साझे में आधे बट पर काश्त ही केवल 2 वर्ष की थी

सहायक कलक्टर
दौसा, जिला दौसा

4. यह है कि प्रतिवादी नंबर 2, 3 की षडयंत्रपूर्ण कार्यवाही इतने पर ही समाप्त नहीं हुई बल्कि प्रतिवादी नंबर 3 ने भ्रष्ट तरीके से सरासर नाजायज व गैर कानूनी तरीके से मात्र एक कागज पर पैन्सली निर्देश देकर पत्र संख्या 4731 दिनांक 04.12.68 पटवारी के नाम लिखकर वादीगण की भूमि गैरकानूनी तरीके से वादी को फरार दिखाकर उस पर प्रतिवादी नंबर 2 का कब्जा बताते हुए सिवायचक दर्ज करने के आदेश देकर सरासर गैरकानूनी नामान्तरकरण संख्या 84 दिनांक 07.02.71 द्वारा भूमि वादीगण की 1. खातेदारी से हटाकर सिवाय चक दर्ज करने के आदेश दे दिये व नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया जो समस्त कार्यवाही देखने मात्र से ही फर्जी व साजिशपूर्ण प्रमाणित है। कोई भी किसी भी तरह की वादीगण के फरार होने की जांच नहीं है न ही कोई वादी को कोई नोटिस दिया है, न ही कोई पत्रावली है, महज नामान्तरकरण की पुश्त पर प्रतिवादी नंबर 3 का एक पत्र चस्पा कर उसके आधार पर नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया जिस नामान्तरकरण पत्र में कहीं भी कब्जा सरकार में लेने का या अन्य कोई हवाला तक नहीं है तथा नामान्तरकरण पर चस्पा निर्देश मे भी किसी 03.12.60 के आदेश के अनुसार का हवाला दिया है। जैसा कि कोई आदेश ही नहीं है। इस प्रकार उक्त भूमि को वादीगण की खातेदारी से हटाने की उक्त सारी कार्यवाही नामान्तरकरण व प्रतिवादी नंबर 2 व लक्ष्मण के नाम की दर्ज की गई गिरदावरी संवत 2013 लगायत 2019 सरासर फर्जी, गैरकानूनी, क्षेत्राधिकार से बाहर व वोईड एण्ड इनिशियों कार्यवाही है व जो बमुकाबले वादीगण खातेदार काश्तकार नल एण्ड वोईड व प्रभावशून्य है व ऐसी वोईड एण्ड इनिशियों फर्जी कार्यवाही से वादीगण खातेदार काश्तकार के जायज हक हकूक कानूनन अप्रभावित है, उन पर कानूनन कोई असर नहीं पड सकता है व वादीगण इस प्रकार की उदघोषणा न्यायालय से अपने हक में कराने के जायज अधिकारी है।

5. यह है कि प्रतिवादी नंबर 2, 3 की साजिशपूर्ण व शरारतपूर्ण कार्यवाहियां इतने पर ही समाप्त नहीं हुई बल्कि प्रतिवादी नंबर 3 तहसीलदारजी दौसा ने ही दिनांक 06.07.69 की तारीख में ही सरासर फर्जी तरीके से वादीगण की उक्त भूमि का प्रतिवादी नंबर 2 के हक में आवंटन दिखाकर नामान्तरकरण संख्या 97 दिनांक 30. 04.71 द्वारा भूमि तुरन्त प्रतिवादी नंबर 2 के नाम गैर खातेदारी में दर्ज कर दी जो इसलिए फर्जी की क्योंकि 1970 से तहसीलदारजी के आवंटन के अधिकार समाप्त हो रहे थे जो समस्त कार्यवाही की प्रतिवादी नंबर 3 तहसीलदारजी दौसा की भ्रष्ट व फर्जी कार्यवाही सरसरी तौर से देखने पर ही प्रमाणित है। चूंकि वादीगण अनुसूचित जाति (बैरवा जाति) के व्यक्ति है। जिससे वो सीधे किसी तरह प्रतिवादी नंबर 2 के नाम जमीन लगा नहीं सकते थे इसलिए उन्हें इतनी फर्जी कार्यवाही करनी पडी । उपर दर्शाये वादीगण की खातेदारी से सिवाय चक दर्ज करने के नामान्तरकरण की तुलाना दिनांक 07.02.71 को गिरदावर द्वारा की गई है व दिनांक 07.02.71 को ही तहसीलदारजी ने नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया। इस प्रकार दिनांक 07.02.71 को उक्त भूमि सिवायचक रिकार्ड में दर्ज हुई मगर भ्रष्ट प्रतिवादी नंबर 2, 3 को तो इतनी तसल्ली भी नहीं थी कि भूमि का दिनांक 07.02.71 को सिवायचक का नामान्तरकरण करने से भी 2 वर्ष पूर्व दिनांक 06.07.69 को ही प्रतिवादी नंबर 2 का आवंटन दिखाकर सिवायचक के नामान्तरकरण तस्दीक दिनांक 07.02.71 से भी काफी पूर्व ही पटवारी ने प्रतिवादी नंबर 2 के नाम नामान्तरकरण भर भी दिया व दिनांक 23.11.70 को गिरदावर ने जांच भी कर ली व दिनांक 30.04.71 को तहसीलदारजी ने तस्दीक कर दिया। आश्चर्य है कि इन दोनों नामान्तरकरण में कहीं भी कब्जे के बारे में एक शब्द भी हवाला तक नहीं किया। इस प्रकार प्रमाणिक रूप से उक्त समस्त कार्यवाही प्रतिवादी संख्या 2, 3 ने सरासर फर्जी, गैरकानूनी, मनमाने व भ्रष्ट तरीके से गुपचुप में गरीब बैरवा वादीगण को बेजा नुकसान पहुंचाने व प्रतिवादी नंबर 2 को बेजा नाजायज लाभ पहुंचाने की बदनियत से किया है जो समस्त कार्यवाही फर्जी व वोईड एण्ड इनिशियों है जो बमुकाबले

सहायक कलक्टर
दौसा, जिला दौसा

वादीगण खातेदार काश्तकार नल एण्ड वोईड व प्रभावशून्य व कलेअदम व बेअसर है तथा वादीगण इस तरह की उदघोषणा अपने हक में कराने के जायज अधिकारी है व ऐसे फर्जी कार्यवाहियों से वादीगण के जायज हक हकूक अप्रभावित है।

6. यह है कि उक्तानुसार राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा बसाज प्रतिवादी नंबर 2 के द्वारा की गई उक्त फर्जी कार्यवाहियों व नामान्तरकरण के जरिए राजस्व रिकार्ड में संवत 2030 से जमाबन्दी व खसरा गिरदावरी में प्रतिवादी नंबर 2 का नाम गैरकानूनी व नाजायज रूप से बतौर गैर खातेदार व आगे की जमाबन्दी में बतौर खातेदार गलत दर्ज चला आ रहा है जो समस्त राजस्व रिकार्ड का इन्द्राज बिना किसी कानूनी आधार के सरासर इलिगल वोइड, इनिशियों है तथा ऐसे आधारहीन व वोईड व इनिशियों फर्जी इन्द्राजात के आधार पर वादीगण खातेदार काश्तकार के
जायज हक हकूक कानूनन अप्रभावित है और उन पर कानूनन कोई प्रभाव नहीं पडता है व जो बमुकाबले वादीगण खातेदार काश्तकार कले अदम व बेअसर घोषित फरमाये जाकर वादीगण को बदस्तूर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक है एवं उसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड के अंकनो की दुरूस्ती किया जाना कानूनन आवश्यक है।

7. यह है कि प्रतिवादी नंबर 2 ने अपने हक में कराई गई उक्त फर्जी कार्यवाहियों व फर्जी गैरकानूनी राजस्व रिकार्ड के अंकन के आधार पर दिनांक 05.04.89 को गुपचुप में बिना जानकारी वादीगण के उक्त वादीगण की भूमि का एक फर्जी नुमाईशी विक्रय पत्र प्रतिवादी नंबर 1 के नाम लिखकर तस्दीक करवा दिया जो सब रजिस्टार दौसा के यहां दिनांक 05.04.89 को पुस्तक संख्या 1 के भाग संख्या 84 के क्रम संख्या 55 के पृष्ठ संख्या 25, 26 पर पंजीबद्ध हुआ है उक्त विक्रय पत्र भी देखने मात्र फर्जी प्रमाणित । उक्त विक्रय पत्र में भी प्रतिवादी नंबर 2 ने कहीं भी भूमि पर कब्जा उसका होने का इन्द्राज नहीं किया है इतना ही नहीं विक्रय पत्र इससे भी फर्जी प्रमाणित है कि दिनांक 02.09.87 को सेटलमेन्ट बन्द होकर नये नंबर बन जाने के बावजूद भी विक्रय पत्र पुराने खसरा नंबरो से करवाया गया है व रजिस्ट्री के समय के खसरा नंबरो का विक्रय पत्र में कही भी हवाला तक नहीं है। इस प्रकार चूंकि भूमि वादीगण के कब्जे काश्त की थी व है तथा प्रतिवादी नंबर 2 का कभी कब्जा नहीं रहा व न ही विक्रय पत्र के समय या बाद में या पूर्व में कभी भी प्रतिवादी नंबर 1 को कब्जा न तो दिया गया न ही आज तक है एवं प्रतिवादीगण के वारिसान का भी उक्त भूमि पर कोई कब्जा नहीं है । वादीगण का आज तक बहैसियत खातेदार काश्तकार अर्से दराज से शांतिपूर्वक उक्त भूमि पर बदस्तूर कब्जा चला आ रहा है व उक्त विक्रय पत्र प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा आधारहीन व फर्जी राजस्व रिकार्ड के अंकन के आधार पर बिना प्रतिफल के फर्जी कराया गया है जो वोईड एण्ड इनिश्यिो व प्रभावशून्य है बमुकाबले वादीगण खातेदार काश्तकार कलेअदम बेअसर होने से उदघोषणा इस अमर की फरमाया जाना न्यायार्थ आवश्यक है व उक्त फर्जी प्रभावशून्य विक्रय पत्र के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 के हक में किया गया कोई राजस्व रिकार्ड का परिवर्तन यदि कोई हो या प्रतिवादी नंबर 1 के द्वारा इस फर्जी विक्रय पत्र के आधार पर की गई अन्य कोई कार्यवाही यदि कोई हो तो वह भी बमुकाबले वादीगण कलेअदम बेअसर व प्रभावशून्य है ।

सहायक कलक्टर
दौसा, जिला दौसा

8. यह है कि इसके अतिरिक्त भी चूंकि वादीगण अनुसूचित जाति (बैरवा जाति) के सदस्य है जाति से बैरवा है जिससे भी कानूनन वादीगण अनुसूचित जाति (एस.सी जाति) के खातेदार काश्तकार की भूमि पर कानूनन प्रतिवादी नंबर 2 या प्रतिवादी नंबर 1 को या अन्य किसी को किसी भी कानून के तहत कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते व समस्त कार्यवाही विरूद्ध वादीगण कानून की निगाह में वोइड इनिशियों व प्रभावशून्य है एवं धारा 42 का सरेआम उल्लंघन है एवं वादीगण के जायज हक हकूक खातेदारी व काश्त के अप्रभावित है ।

9. यह है कि वादीगण को कानूनन अधिकार है कि वह उक्त भूमि पर फर्जी कार्यवाहियों द्वारा किये गये फर्जी इन्द्राजात व परिवर्तन राजस्व रिकार्ड व रजिस्ट्री को कलेअदम बेअसर घोषित करावे व वादीगण अपने हक में खातेदारी की उदघोषणा न्यायालय द्वारा करवाकर राजस्व रिकार्ड में वादीगण अपने हक में इन्द्राज दुरूस्ती करावे व उक्त भूमि पर बदस्तूर शांतिपूर्वक वादीगण काबिज रहे तथा प्रतिवादीगण को उक्तानुसार पाबन्द करावे एवं प्रतिवादीगण को कानूनन स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्दी करावे कि वे वादीगण के उक्त भूमि पर खातेदारी व काश्त के जायज हक हकूको पर किसी भी प्रकार से रूकावट व कुठराघात नहीं करे व उक्त भूमि को कब्जे काश्त में रहने दे।

10. यह है कि वादीगण ने वाद पत्र के समर्थन में निम्नांकित दस्तावेज नकल खतोनी बंदोबस्त संवत 2010 से 2022 बाबत खसरा नंबर 143 ग्राम बीचलवास प्रदर्श पी-1 नकल जमाबन्दी भूमि एकीकरण संवत 2018 बाबत खसरा नंबर 43 ग्राम बीचलवास प्रदर्श पी - 2, नकल मिलान क्षेत्रफल भूमि एकीकरण खसरा नंबर 43 ग्राम बीचलवास प्रदर्श पी-3 टाईप प्रति पेन्सली निर्देश पत्र संख्या 4731 दिनांक 04. 12.68 पटवार हल्का बीचलवास तहसील दौसा प्रदर्श पी-4 नकल आदेश तहसीलदार दौसा बाबत नकल नहीं देने दिनांक 11.06.914 प्रदर्श पी-5, नकल नामान्तरकरण संख्या 84 दिनांक 07.02.71 ग्राम बीचलवास प्रदर्श पी-6 नकल आवंटन आदेश तहसीलदार दौसा पत्रावली संख्या 1969 / 6 दिनांक 06. 07. 69 प्रदर्श पी-7. नकल नामान्तरकरण संख्या 97 दिनांक 30.04.71 ग्राम बीचलवास प्रदर्श पी-8, नकल जमाबन्दी खसरा नंबर 43 ग्राम बीचलवास संवत 2022 से 2025 प्रदर्श पी-9, नकल मिलान क्षेत्रफल हाल सेटलमेन्ट खसरा नंबर 43-154 ग्राम बीचलवास प्रदर्श पी - 10, नकल हाल सेटलमेन्ट जमाबन्दी खसरा नंबर 154 ग्राम बीचलवास संवत 2041 2060 प्रदर्श पी-11, नकल खसरा गिरदावरी खसरा नंबर 154 ग्राम बीचलवास संवत 2047 प्रदर्श पी-12, नकल खसरा गिरदावरी संवत 2012 से 2042 खसरा नंबर 43-43 प्रदर्श पी-13, नकल रजिस्ट्री विक्रय पत्र सेडूराम से श्रीनिवास वैद्य के हक में बाबत खसरा नंबर 43 ग्राम बीचलवास प्रदर्श पी - 14 वादीगण ने पेश किये है।

11. यह है कि वादीगण द्वारा पेश उक्त सभी दस्तावेजात व गवाहो के बयानात से वादीगण का वाद पूर्णतया साबित है। दावा वादी डिकी किये जाने योग्य है एवं उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड से प्रतिवादीगण का नाम हजफ फरमाकर वादीगण को उक्त भूमि का खातेदार काबिज काश्तकार घोषित कर उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादीगण का नाम दर्ज करने के आदेश तहसीलदारजी दौसा को प्रदान किया जाना आवश्यक है।

अतः वादीगण की ओर से लिखित बहस पेश कर अर्ज है कि दावा वादी डिकी फरमाने की कृपा करे तथा वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र के अनुतोष दादरसी में चाहा गया संपूर्ण अनुतोष वादी के हक में प्रदान करने की कृपा करे।

सहायक कलक्टर
दौसा, जिला दौसा

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज साक्ष्य एवं तथ्यों का गहनता से मनन किया पत्रावली में उभयपक्षकारान के कथनों के आधार पर कायम तनकी नं0 1 लगायत 06 सिद्व करने का भार वादी पर था, जिसे सिद्व करने के लिए वादी ने अपने दावे के साथ दस्तावेज (नकल खतोनी बंदोबस्त संवत 2010 से 2022 बाबत खसरा नंबर 143 ग्राम बीचलवास प्रदर्श पी-1 नकल जमाबन्दी भूमि एकीकरण संवत 2018 बाबत खसरा नंबर 43 ग्राम बीचलवास प्रदर्श पी - 2, नकल मिलान क्षेत्रफल भूमि एकीकरण खसरा नंबर 43 ग्राम बीचलवास प्रदर्श पी-3 टाईप प्रति पेन्सली निर्देश पत्र संख्या 4731 दिनांक 04.12.68 पटवार हल्का बीचलवास तहसील दौसा प्रदर्श पी-4 नकल आदेश तहसीलदार दौसा बाबत नकल नहीं देने दिनांक 11.06.914 प्रदर्श पी-5, नकल नामान्तरकरण संख्या 84 दिनांक 07.02.71 ग्राम बीचलवास प्रदर्श पी-6 नकल आवंटन आदेश तहसीलदार दौसा पत्रावली संख्या 1969 / 6 दिनांक 06. 07. 69 प्रदर्श पी-7. नकल नामान्तरकरण संख्या 97 दिनांक 30.04.71 ग्राम बीचलवास प्रदर्श पी-8, नकल जमाबन्दी खसरा नंबर 43 ग्राम बीचलवास संवत 2022 से 2025 प्रदर्श पी-9, नकल मिलान क्षेत्रफल हाल सेटलमेन्ट खसरा नंबर 43-154 ग्राम बीचलवास प्रदर्श पी - 10, नकल हाल सेटलमेन्ट जमाबन्दी खसरा नंबर 154 ग्राम बीचलवास संवत 2041 2060 प्रदर्श पी-11, नकल खसरा गिरदावरी खसरा नंबर 154 ग्राम बीचलवास संवत 2047 प्रदर्श पी-12, नकल खसरा गिरदावरी संवत 2012 से 2042 खसरा नंबर 43-43 प्रदर्श पी-13, नकल रजिस्ट्री विक्रय पत्र सेडूराम से श्रीनिवास वैद्य के हक में बाबत खसरा नंबर 43 ग्राम बीचलवास प्रदर्श पी - 14) पेश किये गये।

प्रदर्श सं. 2 जमाबन्दी में दर्ज ख0न0 43 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा वाके ग्राम बीचलवास तह0 दौसा जिला दौसा में स्थित है। जिसमें कृषक नाम, पिता का नाम, जाति यथा बिरदा पुत्र गोपाल कौम चमार अंकित है। अतः पत्रावली सम्वत् 2018 में वादीगण के खातेदारी अंकित है। प्रदर्श सं. 10 मिलान क्षेत्रफल साबिक ख0न0 43 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा एवं हाल ख0न0 154 रकबा 0.80 है0 अंकित है।

वादी द्वारा पेश सभी गवाहों व बयानों में वादी के वाद पत्र की पुष्टि करते हुए वादी की कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 154 रकबा 0.80 है0 जिसके हाल सेटलमेंट से पूर्व के एकीकरण के खसरा नम्बर 43 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा का खातेदार होने का कथन किया है। इसके अतिरिक्त वादीगण ने कथन किया की अनुसूचित जाति का सदस्य होने के कारण उसके खातेदार काश्तकार के अधिकार को प्रतिवादी नं0 2 या प्रतिवादी नं. 1 को या अन्य को प्रदान किया जाना विधि विरूद्व है। वादीगण द्वारा मौखिक साक्ष्य के रूप में कथन किया गया कि इस संबंध में आवंटन निरस्त कर दिया गया। इस प्रकार वादी द्वारा तनकी नं. 1 से 4 को दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य से अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहने के कारण तनकी सं. 1 से 4 का निस्तारण वादी के पक्ष में किये जाते है।

पत्रावली में उभपक्षकारान के अभिकथनों के आधार पर कायम तनकी नं. 5 लगायत 9 को सिद्व करने का भार प्रतिवादी पक्ष का था, जिसे सिद्व करने हेतु इनके द्वारा कोई दस्तावेज का साक्ष्य पेश नही किये। अतः वादी द्वारा तनकी सं. 1 लगायत 4 सिद्व करने से स्वतः तनकी सं. 5 लगायत 9 वादी के पक्ष में सिद्व हो जाती है। ऐसी स्थिति में मेरी राय के मुताबिक वादी का वादी साबित होने के कारण डिक्री होने योग्य है।

सहायक कलक्टर
दौसा, जिला दौसा

:: आदेश ::

अतः वाद वादी साबित होने के कारण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि खसरा नं. 154 रकबा 0.80 है0 (हाल सेटलमेंट से पूर्व के एकीकरण से पूर्व खसरा नं. 143 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा) वाके ग्राम बीचलवास तहसील दौसा जिला दौसा की जमाबंदी दुरूस्त की जाकर वादी के पक्ष में खातेदारी दर्ज किया जाने की घोषणा की जाती है एवं इसी अनुसार हाल जमाबन्दी खसरा गिरदावरी में अंकन करने का आदेश दिया जाता है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दफ्तर दाखित हो।

निर्णय आज दिनांक 01.02.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

मनीषा (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर, दौसा

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत .....सहायक कलक्टर दौसा.....मुकाम.....दौसा.....
ब इजलास.....सुश्री मनीषा, आर.ए.एस. .....
.....बिरदा.....बनाम.....श्रीनिवास वगै0 शेष पुश्त पर

दावा बाबत..... दावा- उद्घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा एवं इन्द्राज दुरुस्ती अन्तर्गत

मुकदमा नं. 182....सन्.....2018

यह मुकदमा आज वारते इनफिसाल कतई रूबरू.... सुश्री मनीषा, आर.ए.एस. व हाजिरी.....मिनजानिब मुद्वई रूबरू.....
मिनजानिब व मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:–

वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार दौसा को आदेश दिये जाते है कि निर्णय अनुसार खसरा नं. 154 रकबा 0.80 है0 (हाल सेटलमेंट से पूर्व के एकीकरण से पूर्व खसरा नं. 143 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा) वाके ग्राम बीचलवास तहसील दौसा जिला दौसा की जमाबंदी दुरूस्त की जाकर वादी के पक्ष में खातेदारी दर्ज किया जाने की घोषणा की जाती है एवं इसी अनुसार हाल जमाबन्दी खसरा गिरदावरी में अंकन करने का आदेश दिया जाता है।

निज.....मुबलिग.....बाबत.....
खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख से, तारीख अदायगी तक.....का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख....01....माह....02....सन् ...2023 को जारी की गई।

दस्तखत.....
ओहदा.....सहायक कलक्टर दौसा, जिला दौसा

मुहर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					

उनवान

1.बिरदा पुत्र गोपाल (फोत)
1/1. रामवतार पुत्र बिरदा
1/2. बाबूलाल पुत्र बिरदा
1/3. प्रहलाद पुत्र बिरदा
1/4. रतीश पुत्र धनसी पौत्र बिरदा
1/5. रामप्रसाद पुत्र धनसी नाबालिग जरिये वली मां केसर
1/6. मंजू पुत्री धनसी पौत्री बिरदा नाबालिग जरिये वली मां केसर
1/7. केसर बेवा धनसी पुत्रवधू बिरदा
} जाति बैरवा निवासी छोटी दौसा तह. व जिला दौसा.

1/8. उगन्ती पुत्री बिरदा पत्नि लक्ष्मण प्रसाद
1/9. लिछमा पुत्री बिरदा पत्नि मदनलाल
} जाति बैरवा निवासी पाडली तहसील सिकराय जिला दौसा।

1/10 गुड्डी पुत्र बिरदा पत्नि कालूराम जाति बैरवा नि. बालाहेड़ी तह. महवा जिला दौसा।

(वादीगण)

बनाम

1. श्रीनिवास वैध पुत्र कल्याणबक्स वैध जाति महाजन निवासी जयपुर।

1/1. रामेश्वरी देवी बेवा श्रीनिवास वैध
1/2. रामजीलाल पुत्र श्रीनिवास वैध
1/3. राजकुमार पुत्र श्रीनिवास वैध
1/4. संजय पुत्र श्रीनिवास वैध
1/5. अजय पुत्र श्रीनिवास वैध
} जाति महाजन निवासी झौटवाड़ा जयपुर जिला जयपुर।

1/6. श्रीमती कवीता पुत्री श्रीनिवास वैध पत्नि सतीश जाति महाजन निवासी बनारस (यू.पी.)
1/7. सवीता पुत्री श्रीनिवास वैध जाति महाजन निवासी दौसा खुर्द तह. व जिला दौसा

2. सेडूराम पुत्र भूराराम (मृतक)।
2/1. मुथरी बेवा सेडूराम जाति गुर्जर निवासी दौसा खुर्द तह0 व जिला दौसा।
2/2. भोरी पुत्री सेडूराम जाति गुर्जर निवासी चिरावंडा तह0 नादौती जिला करौली।
2/3.विजयसिंह पुत्र भौरी पुत्री स्व. सेडूराम जाति गुजर निवासी चिरावंडा तह0 नादौती जिला करौली

3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दौसा जिला दौसा राजस्थान।

(प्रतिवादीगण)

सहायक कलक्टर
दौसा, जिला दौसा